न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 131 / 2022

उनवान

रामप्रसाद पुत्र देवा, दिनेश पुत्र गोपाल, सोना पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी दिलवाडी तहसील नसीराबाद

——वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. जतन पत्नि भवरलाल,
2. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल,
3. लक्ष्मी,
4. श्यामा पुत्री भंवरलाल,
5. शिवजी पुत्र भंवरलाल,
6. सुगनी,
7. पुसी पुत्री भंवरलाल,
8. जीवराज पुत्र मंगला,
9. बदाम पुत्री मंगला,
10. भीमराज पुत्र मंगला,
11. मगनी,
12. मनभर,
13. लाडा पुत्री मंगला
14. मतिया पत्नि मंगला,
15. लाली पुत्री हजारी जाति गुर्जर समस्त निवासीगण दिलवाडी तहसील नसीराबाद,
16. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद,
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
18. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 16 व 17 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 10/7/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के सन फसली 1359 साबिक खसरा नम्बर 118[illegible] रकबा 2–0–0 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1381 रकबा 1–0–0, 1382 र[illegible] 1–[illegible] व हाल खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.24, 1692 रकबा 0.08 [illegible] 1 के पिता व वादी संख्या 2 व 3 के दादा देवा पुत्र हरजी [illegible] दिनांक 18.05.1974 को तत्कालीन खातेदार हजारी पुत्र छोगा से क्रय कर कब्जा व दर[illegible] प्राप्त कर लिया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

विक्रेता हजारी पुत्र छोगा की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रतिवादी मंगला व भवंरलाल की मृत्यु हो गयी है के वारिस प्रतिवादीगण ही है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र की पालना में वादीगण/केता के नाम दर्ज करने की बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके ये प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 व 18 अनुपस्थित होने कें कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा सन फसली खसरा नम्बर 1182 के चौसाला खसरा नम्बर 1110 रकबा 2–0–0 की आराजी देवा पुत्र हरजी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1974 को ततकालीन खातेदार हजारी पुत्र छोगा से क्रय की थी। उक्त आराजी का प्रतिफल तत्समय प्राप्त कर लिया गया। विक्रय के पश्चात विक्रेता/खातेदार के खातेदारी अधिकारों का अवसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत हो चुका है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विक्रेता का नाम तत्कालीन जमाबंदी में अंकित है। विक्रय पत्र पंजीकृत होने के कारण उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व दस्तावेज से आराजी मुतनाजा विधिवत क्रयशुदा सिद्व होती है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जबकि विक्रय पत्र अनुसार उक्त आराजी वादीगण अथवा क्रेता के नाम अंकित होनी चाहिये थी। राज. पैरोकार ने भी वाद का कोई खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 के पास रहन दर्ज है। किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा उक्त आराजी पूर्व में ही विक्रय करने के कारण उन्हे उक्त आराजी रहन रखने का अथवा उक्त भूमि पर ऋण लेने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 18 के पास रहन रखी भूमि का वादीगण के हितों पर कोई प्रभाव नही रहेगा। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.24, 1692 रकबा 0.08 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। त[illegible] नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही [illegible] करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामप्रसाद बनाम जतन

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 131/2023
पेश करने की दिनांक – 03.08.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.24, 1692 रकबा 0.08 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 07 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested